

न्यायालय सब जज-तृतीय, डुमराँव, जिला-बक्सर

टी० एस० सं०- 263/2017

हृदयानन्द ओझा वगैरह -

वादीगण

बनाम्

कमला शंकर तिवारी वगैरह -

प्रतिवादीगण

03.04.2025

वादी के द्वारा आवेदन दिनांक-17.08.2017 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित मकान व सहन पर यथास्थिति कायम रखने के लिए दाखिल किया है जिसमें वादीगण का कथन है वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा निबंधित त केबाला दिनांक-22.07.2017 तहत प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को शून्य घोषित करने के लिए लाया गया है जिसके आधार के रूप में उनका कथन है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा विवादित रिहायसी मकान को बिना बंटवारे के अपने हिस्से से ज्यादा बिक्री कर दिये हैं, जबकि क्रेतागण वादी के परिवार के नहीं है बल्कि अजनबी है। पुनः वादी का कथन है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक-14.08.2017 को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गयी जिसके आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक-22.03.2018 द्वारा दोनों पक्षों को विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाने का आदेश दिया गया था जिसके आलोक में वादी के द्वारा पुनः आवेदन दिनांक-15.03.2024 दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी के द्वारा पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति कायम रखने का आदेश की अवधि का विस्तार नहीं होने के कारण अनुचित लाभ उठाते हुये प्रतिवादी प्रथम पक्ष विवादित भूमि में पूर्ववत गंदगी फेंकने के साथ-साथ गोबर फेंक कर तथा वादी के मकान के दिवाल पर गोयटा पाथ दे रहे हैं जिसके कारण संक्रामक रोग फैलने की प्रबल संभावना है तथा विवादित मकान के एक भाग में डाक घर भी कार्यरत है जिसमें गंदगी के कारण डाक घर में आने-जाने

वाले लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः आवेदन दिनांक-16.08.2017 तथा पूरक आवेदन दिनांक-15.03.2024 के आलोक में निषेधाज्ञा आदेश प्रतिवादियों के विरुद्ध पारित किया गया।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक-17.08.2017 तथा 15.03.2024 के आलोक में प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए निवेदन किया गया है कि वादी का उपरोक्त आवेदन सरासर काबिल खारिज के है। जबकि वादी तथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष तथा इनके अन्य फरीकैन के बीच में मुस्तकिल बंटवारा सन् 1992 में हो चुका है और उसी बंटवारे के तहत सभी फरीकैन अपने-अपने हिस्से की भूमि पर दाखिल काबिज है। पुनः प्रतिवादी का कथन है कि विवादित भूमि रिहायसी मकान नहीं है बल्कि परती खाली जमीन है जिसमें कोई घर, मकान इत्यादि नहीं है और प्रतिवादी के द्वारा यह भूमि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के तथा अन्य हिस्सेदार की सहमति से खरीद करके शांतिपूर्ण दखल कब्जे में चले आ रहे हैं। इस प्रकार इस आवेदन के लिए आवश्यक प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है तथा प्रतिवादी पर निषेधाज्ञा आदेश पारित होने की स्थिति में प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति होगी। पुनः प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रतिउत्तर के माध्यम से निवेदन किया गया है कि अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा दाखिल किया गया प्रतिवेदन पर प्रतिवादी का आपत्ति दिनांक-17.02.2020 दाखिल किया गया है क्योंकि यह प्रतिवेदन वादी के मेल में बनाया गया है। पुनः प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा विवादित भूमि पर इसी प्रकार के गोबर, गंदगी फैलाने का आरोप झूठा एवं गलत है क्योंकि विवादित भूमि के सटे प्रतिवादीगण का मकान है जिसमें वह पूरे परिवार के साथ रहते हैं किन्तु वादी वहां रहते नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि एक आवासीय भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष एक ही परिवार से हैं, जबकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष इनके परिवार से नहीं हैं और पड़ोसी के रूप में विवादित भूमि के दक्षिण में उनका मकान स्थित है। पुनः प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा अपने

कथन की वादी के परिवार के बीच बंटवारा सन् 1992 में हो चुका है, से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किये हैं तथा वादी द्वारा भी पूर्व में कथित संयुक्त संपत्ति में बिक्री किए जाने का कथन वादी तथा उसके फरीकैन के बीच बंटवारा हुआ है या नहीं के तथ्य को संपुष्ट नहीं करता है। जिससे प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि वादी तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष बिक्रेता के मध्य बंटवारा हुआ है या नहीं यह तथ्य उपस्थित परिस्थितियों के आलोक में सुनिश्चित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के निस्वत किया गया केबाला हिस्सा से अधिक है या नहीं यह भी निर्धारित किया जाना उपस्थित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में उचित प्रतीत नहीं होता है। पुनः विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी क्रेता किसी हिस्सेदार से संयुक्त आवासीय भूमि खरीदता है तो उस पर दखल कब्जा बिना न्यायालय के उचित आदेश या अन्य हिस्सेदार की सहमति के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर दखल कब्जा का प्रयास करते हैं तो यह अनुचित होगा।

अतः अभिलेख पर उपस्थित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक-22.03.2018 को वाद के अन्तिम फैसले तक के लिए बरकरार रखा जाता है।

अगली तिथि-..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज-तृतीय